



लोककथा की विशेषताएँ

डॉ. एम. ए. पवार

श्री. वसंतराव नाईक महाविद्यालय धारणी

प्रस्तावना :

आधुनिक कहानियों एवं लोककथाओं के अन्तर को डॉ. शंकरलाल यादव ने विस्तार के साथ स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने निम्न आठ शिर्षकों के अन्तर्गत पार्थक्य का निर्धारण किया है।

1. लोक कहानियों में पशु-पक्षी भी पात्र हैं, जबकि आख्यायिकाओं या शिष्ट साहित्यिक कहानियों में मानवीय पात्र ही रह सकते हैं। मनुष्य पात्रों में शिष्ट कथा में साधारण वर्ग के पात्र रहते हैं, जबकि लोककथाओं में विशिष्ट वर्ग (जैसे राजा-रानी, परी, सेठ साहूकार आदि) के
2. लोक कहानियाँ कुतूहल प्रधान होती हैं, जबकी आधुनिक साहित्यिक कहानियों में मौलिकता का तत्व कथानक का मेरुदंड माना जाता है।
3. जीवन संघर्ष पुरुषार्थ प्रधानता आधुनिक कहानियों का विशेष लक्षण है जबकि लोक कहानियाँ भाग्यवादी आस्था के ढांचे पर खड़ी होती हैं।
4. आधुनिक कहानियों में चरित्र चित्रण पर बल रहता है। जबकि लोककहानियों में रस चर्वणापर
5. लोक कहानियों में घटनाओं की बहुलता रहती है। जबकि आधुनिक कहानियों में भाव विचार या अनुभूति प्रधान रहती है।
6. लोक कहानी पाठक को तृप्त करती है जबकि आधुनिक कहानियाँ विचारोत्तेजित करती हैं।
7. लोक कहानियाँ सुखान्त ही होती हैं जबकि आधुनिक कहानी के लिए यह आवश्यक नहीं।
8. लोक कहानियों में सामाजिक सम्पन्नता रही है जब कि आधुनिक कहानियों में सामाजिक वैषम्य राजनीतिक हलचलों की विवृत्ती होती है।

उपर्युक्त पार्थक्य भेदक स्थितियों में अन्तिम भेद का उल्लेख तो डा. कृष्णदेव उपाध्याय ने भी किया था। इन सब भेदों के अतिरिक्त मुख्य बात यह भी है कि लोक कहानी सहज शैली में अभिव्यक्त होती है। जबकि आधुनिक कहानीकार इसके रचना शिल्प के प्रति सजग रहता है।

लोककहानियों का शिल्प - लोककथाओं का सच पूछे तो कोई शिल्प होता ही नहीं, क्योंकि लोककथाकार ने इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया होता। वह तो अत्यंत सहज रूप में कथा सर्जना करता गया था। यहाँ कि उसके विभिन्न तत्वों तक का उसे पता न था। किन्तु आज लोक कहानी का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए हम उसके शिल्प की विशेषताओं का उल्लेख करना चाहते हैं। विद्वानों द्वारा लोक कहानियों के निम्न तत्वों का उल्लेख किया गया है।

(१) कथावस्तु (२) पात्र (३) कथेपकथन (४) चरित्र-चित्रण (५) वातावरण (६) शैली (७) उद्देश्य

इस सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि साहित्यिक कहानियों में पात्र और चरित्र चित्रण दो पृथक तत्व नहीं होते जब कि लोक कहानियों के तत्वों के अंतर्गत विद्वानों ने इन्हें पृथक पृथक माना है। अब क्रमशः इन तत्वों से सम्बन्धित विशेषताओं का परिचय प्रस्तुत है।

(१) **कथावस्तु** - लोक कहानियों में वस्तु संयोजना के क्षेत्र में साहित्यिक कहानियों से यही पार्थक्य होता है कि उनमें शिष्ट कहानियों की भांति घटनाओं के घात-प्रतिघात नहीं होते। लोककहानियों के कथानक में संभाव्यता का कोई स्थान नहीं होता, जबकि साहित्यिक कहानियों में असंभवता का कोई मूल्य नहीं माना जाता।

(२) **पात्र** - लोककहानियों में पशु-पक्षी भी पात्र हैं और राजा-महाराजा भी पौराणिक देवता भी प्रधान रूप से स्थान पाते हैं। नायक की सफलता और प्रतिनायक को दण्ड का विधान अवश्य रहता है।

(३) **कथेपकथन** - लोक कहानियों में संवाद अत्यंत शिथिल होते हैं। पशु-पक्षी भी बोलते हैं किन्तु उनमें कसाव नहीं होता।

(४) **चरित्र-चित्रण** - चरित्र-चित्रण के ना पर लोक कहानियों में प्रायः पात्र या तो उपदेष्टा के रूप में सामने आते हैं अथवा अलौकिकता के आवरण में अस्तित्व की संभावना से कोसो दूर। चरित्रों में विकास का कोई अवसर नहीं होता।

(५) **वातावरण** - लोक कहानियों में ग्रामिण अंचल ही खुलकर सामने आता है। स्वस्थ एवं सुखकर वातावरण की सृष्टि इनमें रहती है।

(६) **शैली** - स्वाभाविक कथन शैली, लोकभाषा की सरलता, सहजता एवं गतिशीलता के कारण इनकी शैली में कृत्रिमता के लिए कोई स्थान नहीं होता। लोककहानियों का प्रारम्भ अतीत की रोचकता, मध्यभाग अत्यन्त विस्तार की सम्भावना लिए तथा अन्त आशिर्वाद या मंगल वचन के साथ आता है।

(७) **उद्देश्य** - लोक कहानियों में उद्देश्य के नाम पर मनोरंजन का प्रयोजन ही मुख्य माना जाता है। वैसे धर्म कथाओं में धार्मिक आस्था एवं धर्म-शिक्षा ही उद्देश्य होता है। अनेक बार श्रोताओं को रस चर्चणा कराना भी एक उद्देश्य हो सकता है।

लोककथाओं की विशेषताएँ -

लोककथाओं एवं साहित्यिक आख्यायिकाओं में अन्तर स्पष्ट करने के लिए लोककथाओं के शिल्प पर विचार किया गया। अब हम कुछ ऐसी विशेषताओं का उल्लेख करना चाहते हैं, जिनके आधार पर किसी भी कहानी को पहचाना जा सके और यह निर्णय दिया जा सके कि अमुक कहानी शिष्ट साहित्यिक कहानी है अथवा लोककथा। इस सम्बन्ध में डा. कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा वर्णित लोककथाओं की निम्न आठ विशेषताओं की आर हमारा ध्यान जाता है।

१. प्रेम का अभिन्न पुट
२. अश्लील श्रृंगार का अभाव
३. मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों से निरंतर साहचर्य
४. मंगल कामना की भावना
५. संयोग में कथाओं का अन्त
६. रहस्य, रोमांच एवं अलौकिकता की प्रधानता
७. उत्सुकता की भावना
८. वर्णन की स्वाभाविकता

इन्हीं विशेषताओं को देखकर किसी कहानी के विषय में यह निर्णय लिया जा सकता है कि यदि ऐसी विशेषताएँ किसी कहानी में उपलब्ध हो तब तो वह लोक कहानी कही जाएगी और यदि ऐसी विशेषताओं का किसी कहानी में अभाव हो तथा आधुनिक साहित्यिक कहानी के तत्व उपलब्ध हो तब उसे साहित्यिक आख्यायिका कहना चाहिए।

आधुनिक युग के अनुसंधाता विद्वानों में डा. मोहनलाल बाबुलकर का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने गढ़वाली लोककथाओं का विषयगत विभाजन किया है। उन्होंने निम्न वाक्य में अपने वर्गीकरण के औचित्य की स्थापना भी की है।

लोककथाओं के वर्गीकरण की विवेचना करते समय पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि कथाओं का वर्गीकरण व्यक्त लोक जीवन के आधार पर ही किया जा सकता है। कथाओं की उपयोगिता क्या है, और लोक ने इनका उपयोग किस अवसर पर किया है इन्हीं विषयों के आधार पर कथाओं को हम उनकी उपयोगिता और विषय के आधार पर विभाजित कर सकते हैं।

डा. बाबुलकर ने लोककथाओं को निम्नांकित ९ भागों में विभक्त किया है।

१. देव गाथाएँ
२. कथा
३. व्रत की कथाएँ
४. उपदेशात्मक कथाएँ
५. पक्षियों की कथाएँ
६. पशुओं की कथाएँ
७. ज्ञान की कथाएँ

५. मनोरंजक कथाए
६. भूतों की कथाए
७. परियों की कथाए
८. समाधान मूलक कथाए, तथा
९. अन्य कथाए

इस वर्गीकरण को भी आलोचना का विषय बनाया जा सकता है। ६ और ७ क्रम पर दी गई कथाओं को आश्चर्य जनक कथाए कहकर एक श्रेणी में ही रखा जा सकता है। इसी प्रकार अन्य कथाएँ कहकर जो विविध कथारूपों का अनिश्चित श्रेणी विभाजन किया है यह ठीक प्रतीत नहीं होता।

इसी क्रम में बंगाली लोककथाओं के अनुसंधाता विद्वान डा. दिनेशचन्द्र सेन का वर्गीकरण भी उपस्थित करना उचित प्रतीत होता है। जिन्होंने बंगाल की लोककथाओं का अध्ययन करने के प्रसंग में निम्न प्रकार के चार कथा-रूप माने हैं।

१. रूप कथा (Subber Natural Tales)
२. हास्य कथाए (Humerous Tales)
३. व्रत कथाए (Religious Tales)
४. गीत कथाए (Nursury Tales)
- ५.

इस प्रकार हमने विभिन्न विद्वानों के द्वारा किये गये वर्गीकरणों का संक्षिप्त परिचय दिया है। कहना न होगा, प्रत्येक विद्वान ने लोककथाओं का वर्गीकरण करते समय एक विशिष्ट क्षेत्र की लोककथाओं को अपने दृष्टीपथ में रखा है। जैसे डा. सत्येन्द्र ने ब्रज की लोककथाओं को बाबुलकर ने गढवाली लोककथाओं को डा. सेन ने बंगाली लोककथाओं को डा. उपाध्याय ने भोजपुरी लोककथाओं को ही अपने वर्गीकरण का आधार बनाया है। इसी लिए इन सभी विद्वानों के वर्गीकरण से सम्बन्धित क्षेत्रों की लोककथाएँ उचित ही कही जायेंगी। परंतु सर्व सम्मत एवं सर्व स्वीकृत वर्गीकरण के सम्बन्ध में विचार करते समय हमें यह सोचना पड़ेगा कि इन सभी वर्गीकरणों में कोई एक भी वर्गीकरण सर्व सम्मत नहीं माना जा सकता। कारण स्पष्ट है कि इन वर्गीकरणों पर सार्वदेशिकता की छाप नहीं है।

फिर भी चूंकि हजारों प्रकार की लोककथाओं को विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों, उपयोगिताओं, विषय सामग्री में वैविध्य होने के कारण सरलता से श्रेणी बद्ध नहीं किया जा सकता फिर भी डा. कृष्णदेव उपाध्याय का वर्गीकरण अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है, जिसका संकेत डा. सत्येन्द्र की आलोचना के प्रसंग में किया जा चुका है। इन्होंने उपदेशात्मक कथाओं को ही प्रमुख प्रकार की कथा माना है। और लोककथाओं का बहुत बड़ा प्रतिशत इसी वर्ग में समाविष्ट किये जाने का संकेत किया है। इसके अलावा भारत धर्म प्राण जनपद होने के कारण व्रत कथाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। जिस प्रकार की प्रेम कथाएँ हैं। इनमें परिवार के विभिन्न सदस्यों के परिवारीक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। तथा मुख्य रूप से प्रेम और प्रेमिकाओं के इतिवृत्त भी इसमें ही आने हैं। चौथी कोटि की कहानियाँ मनोरंजन प्रधान हैं जिनका मुख्य उद्देश्य उनके श्रोताओं का मनोरंजन करना होता है। पांचवे प्रकार की वे कथाएँ हैं। जिनमें समाज की व्यवस्था अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं का उल्लेख रहता है। अंतिम प्रकार की वे हैं, जिनके कथानक का स्रोत कोई न कोई पुराण रहा होता है। ऐसे कथावर्ग का आधारभूत ग्रंथ पुराण ही होता है। इसलिए इन्हे पौराणीक कथा कहकर पुकारा जाता है।

डा. उपाध्याय का यह वर्गीकरण ही सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण कहा जा सकता है क्योंकि इस वर्गीकरण के अंतर्गत सभी जनपदों की कहानियों को समाविष्ट किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ -

लोकसाहित्य सिद्धांत और प्रयोग

- डॉ. श्रीराम शर्मा